

मुकदमा  
129/2019

न्यायालय उप तहसीलदार सिंधाना जिला झुन्झुनूं (राज०)  
किस्म मुकदमा रज्जु दिनांक  
धारा 91 एल.आर.एक्ट 15.10.2019

निर्णय दिनांक  
04.11.2019

उनवान सरकार बनाम बाबूलाल पुत्र शंकर जाति गाली निवासी ढाणा तहसील बुढाना  
जिला झुन्झुनूं (राज०)

:- निर्णय :-

पत्रावली आज पेश हुयी। अतिकमी अनुपस्थित। पत्रावली का अवलोकन किया गया।  
मामला संक्षिप्त में इस प्रकार है। पटवारी हल्का ढाणा ने सम्वत 2076 में इस आशय की  
रिपोर्ट प्रस्तुत की है कि ग्राम ढाणा की राजकीय भूमि ख० न० 55 कुल रकबा 3.27 है० किरम  
गै० मु० नदी मे से 0.10 है० भूमि पर अतिकमी बाबूलाल पुत्र शंकर जाति गाली निवासी ढाणा  
में अवैध रूप से बाड़ छड़ी व पाड़ कर अनाधिकृत रूप से अतिक्रमण किया गया है।


रिपोर्ट पटवारी हल्का से प्राप्त होने पर मागला दर्ज रजिस्टर किया जाकर अतिकमी  
को राजस्थान भू० राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 91 के तहत नोटिस जारी किया जाकर  
तलब किया गया। नोटिस प्राप्ति पर अतिकमी अनुपस्थित रहा।

पत्रावली में उपलब्ध साक्ष्य/सबुत का गहनता से गनन किया गया। अतिकमी द्वारा  
किया गया अतिक्रमण जो काबिल नियमन नहीं है। ना ही नियमों के अनुरूप है। अतिकमी  
द्वारा राजकीय भूमि में बाड़ छड़ी कर अतिक्रमण किया गया है। अतिक्रमण किये जाने के  
फलस्वरूप अतिकमी घोषित किया जाता है व जैर बहस रिपोर्ट पटवारी पर से बेदखल किये  
जाने के आदेश दिये जाते है।

अतिकमी द्वारा अनाधिकृत रूप से किये गये अवैध रूप से बाड़, छड़ी कर अतिक्रमण  
किये जाने के दण्ड स्वरूप शरह लगान 4.94/- का अतिक्रमण शुदा भूमि के ख० न० 55  
लगान 0.10 की 50 गुणा जुर्माना राशि 05/- बतौर शास्ति कायम किये जाते है।

तहसील राजस्व लेखाकार/भू० अ० निरीक्षक/पटवारी हल्का को वास्तो जमा  
कायमी/बेदखली/वसूली हेतु लिखा जावे। भू० अ० निरीक्षक को राजकीय भूमि से अतिक्रमित  
भूमि से वास्तविक रूप से बेदखल करने हेतु लिखा जावे। पत्रावली बाद तकमील तामील  
दाखिल दपतर हो तथा नम्बर शुमार से कम होकर दर्ज फ़ैसला हो।

निर्णय आज दिनांक 04.11.2019 को खुले न्यायालय सुनाया में सुनाया गया।

  
उप तहसीलदार सिंधाना

उप तहसीलदार सिंधाना  
नं० 129/2019 का मुकदमा  
के तहत जारी

उप तहसीलदार सिंधाना